

## باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

۳۳۲

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و شرع متین درج ذیل مسائل کے بارے میں،

(۱) محمد عمر کا انتقال ہوا، مرحوم نے اپنے وارثین میں دو بیویاں، راعنہ پروین (مرحومہ، جنکا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا)، ان سے تین لڑکیاں حمیرہ، صبیحہ، ماریہ، دو لڑکے محمد عمیر (جنکا انتقال ولادت کے قریب ہی ہو گیا تھا)، محمد عبداللہ (جنکی ولادت میں راعنہ پروین کا انتقال ہوا اور لڑکے عبداللہ کا چھٹے دن انتقال ہوا)، دوسری بیوی کوثر جمال ہیں اور ان سے ایک لڑکا محمد عرف کو چھوڑا، مرحوم کا ترکہ مذکورہ وارثین میں کس طرح تقسیم ہوگا۔  
واضح فرمائیں؟

(۲) مرحوم نے زندگی میں اپنی کچھ جائیداد، اور سامان دوسری بیوی کوثر جمال کے نام خریدی اور کچھ مزید ان کے نام اور کردی تھی، جبکہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا تو کیا اس جائیداد اور سامان میں سارے وارثین شریک ہونگے یا وہ صرف اسی وارث کا حق ہوگا جسکے نام خریدی یا رجسٹری ہے، اس میں شرعاً کیا حکم ہے واضح فرمائیں؟

(۳) مرحوم نے اگر جائیداد اور دیگر سامان وغیرہ کسی متعین بیوی یا اولاد کے نام کر دیا تو وہ متعین بیوی یا اولاد کا حق مانتے ہوئے صرف اسی بیوی کی اولاد پر تقسیم ہوگا یا شوہر کی طرف لوٹ کر موجودہ تمام وارثین، (بیوی کوثر جمال، بیٹا محمد عرف، بیٹیاں حمیرہ، ماریہ، صبیحہ) شری حصہ کے اعتبار سے سب اس میں شریک ہونگے اور ایسی صورت میں کس وارث کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ واضح فرمائیں؟  
برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں مذکورہ تمام سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

(۴) انتقال کے چوتھے دن مرحوم کی دوسری بیوی کوثر جمال نے سب کو بلا کر ایک وصیت نامہ ۱۵ اردو رقم پر مشتمل دکھلایا اور پڑھوایا جو کہ استغنیٰ کے ساتھ چسپاں اور لگا ہوا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی موجودہ جائیداد، سامان، کل رقم اور لہ بڈی، وغیرہ سب کوثر جمال کے بیٹے محمد عرف کے نام کر رہا ہوں اس میں کوئی دوسرا وارث شریک نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹیوں کو دان، جہیز، زیورات اور جائیداد دے چکا ہوں یہ بات وصیت نامہ میں مذکور ہے، حالانکہ مرحوم نے اپنی بیٹیوں کو کوئی جائیداد نہیں دی تھی جبکہ انہوں نے پہلی بیوی راعنہ پروین کے نام سے خریدی ہوئی چیزیں اور جائیداد فروخت کر کے دوسری نئی جائیداد خرید کر اپنی دوسری بیوی کوثر جمال کے نام کر دی تھی، جبکہ محمد عمر کی تمام جائیداد اور سامان وغیرہ میں محمد عرف اور کوثر جمال کی کوئی ذاتی محنت اور تجارتی دخل نہیں ہے، انکی پہلی بیوی راعنہ پروین سے جو تین بیٹیاں ہیں مرحوم محمد عمران سے بہت زیادہ محبت اور خیر خواہی بھی کرتے تھے، ان بیٹیوں کو اپنے والد سے اس طرز عمل (وراثت سے محرومی) کی بالکل ہی توقع نہیں ہے مزید یہ کہ یہ وصیت نامہ مرحوم کی بیماری اور مرض کے زمانے کا ہے جس میں انہوں نے دیگر وارثین کو محروم کر دیا، جبکہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ وصیت انہوں نے بخوشی اور رضامندی سے کی ہے یا جبراً کرائی گئی ہے، حالانکہ وصیت کے گواہ کو دستخط کرتے وقت اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے۔ تو کیا اس وصیت نامہ کا اعتبار کیا جائیگا یا لاوصیہ لوارث کے تحت اس وصیت نامہ کو باطل قرار دے کر تمام ورثاء اس وراثت میں شریک ہونگے شرعاً اس کا کیا حکم ہے۔ نیز یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پہلی بیوی راعنہ پروین جسے تین لڑکیاں حمیرہ، صبیحہ اور ماریہ ہیں محمد عمر نے راعنہ پروین کے نام سے جو جائیداد خریدی تھی وہ جائیداد دوسری نئی جائیداد کے ذریعہ بیچ دی اور بیچنے کے بعد دوسری بیوی کوثر جمال اور ان سے پیدا شدہ لڑکا محمد عرف کے نام سے نئی جائیداد اور خریدی۔ تو اس نئی جائیداد میں تینوں لڑکیوں کا کتنا حق اور حصہ ہوتا ہے۔ واضح فرمائیں۔

برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مذکورہ تمام سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات محتات فرمائیں میں لوازش ہوگی۔

والسلام

رابطہ: حمیرہ (9897583968)، ماریہ (9897063100)، صبیحہ (0-9873256140)

محلہ مفتی ٹولہ مراد آباد، یوپی

تاریخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۸

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۲۳۹ھ

الجواب وباللہ التوفیق :- (۱): اگر محمد عمر مرحوم نے اپنی وفات پر اپنے وارثین میں ماں، باپ اور دادا، دادی میں کسی

کو نہیں چھوڑا، صرف ایک بیوی، ایک بیٹا اور تین بیٹیاں چھوڑیں تو مرحوم کا سارا ترکہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث ۴۰٪

حصوں میں تقسیم ہوگا، جن میں سے ۵٪ حصے باحیات بیوی: کوثر جمال کو، ۱۴٪ حصے بیٹے: محمد عرف کو اور ۷٪ حصے تینوں بیٹیوں: ←

← حمیرہ (حمیراء)، صبیحہ اور ماریہ میں سے ہر ایک کو ملیں گے۔

تخریج کا نقشہ حسب ذیل ہے:

محمد عمر: مسئلہ ۸، قصہ ۴۰  
می

زوجة	ابن	بنت	بنت	بنت
کوثر جمال	محمد عرف	حمیرہ	صبیحہ	ماریہ
۱/۵	۱۴	۷	۷	۷
			۳۵	

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ الْآيَةَ﴾ (سورة النساء، رقم الآية: ۱۲)، وقال تعالى أيضاً: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ (سورة النساء، رقم الآية: ۱۱)، فيفرض للزوجة قسماً عاداً الثمن مع ولد الخ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الفرائض، ۱۰: ۵۱۱، ۵۱۲، ط: مكتبة زكريا ديوبند)، ويصير عصبه بغيره البنات بالابن الخ (المصدر السابق، ص: ۵۲۲)۔

(۳، ۲): محض کسی کے نام کوئی زمین و جائداد یا سامان خریدنے سے یا پہلے سے خرید کردہ کوئی زمین و جائداد یا سامان محض کسی کے نام کر دینے سے وہ شخص اس زمین و جائداد یا سامان کا مالک نہیں ہو جاتا؛ بلکہ دوسرے کے مالک ہونے کے لیے باقاعدہ ہبہ کا معاملہ شرعی قبضہ دخل کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے؛

اس لیے اگر مرحوم: محمد عمر نے اپنی زندگی میں دوسری بیوی کے نام کوئی زمین و جائداد یا سامان خریدایا اپنی کوئی زمین و جائداد یا سامان دوسری بیوی کے نام کر دیا اور دونوں صورتوں میں دوسری بیوی کو باقاعدہ ہبہ کر کے قبضہ دخل نہیں دیا تو مرحوم کی اس طرح کی سب املاک بھی مرحوم کا ترکہ ہوں گی اور حسب شرع مرحوم کے تمام وارثین کے درمیان تقسیم ہوں گی۔

اور اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں وہ زمین و جائداد یا سامان باقاعدہ دوسری بیوی کو ہبہ کر دیا تھا اور دوسری بیوی کو شرعی طور پر قبضہ دخل بھی دیدیا تھا تو دوسری بیوی کے نام کی زمین و جائداد یا سامان مرحوم کا ترکہ نہ ہوگا؛ بلکہ وہ صرف دوسری بیوی کا ہوگا اور وہ جب تک باحیات ہے، اس کی کسی املاک میں اس کی اولاد وغیرہ کا مالکانہ کوئی حق حصہ نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين (السنن الكبرى للبيهقي، ۷: ۷۹۰)، اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث وأصالة الخ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصيد، ۱۰: ۴۷)، ط: مكتبة زكريا ديوبند، وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع الخ (المصدر السابق، كتاب الهبة، ۸: ۴۸۹)، وتتم الهبة بالقبض الكامل (المصدر السابق، ص: ۴۹۳)، وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لمملك الواهب لا مشغولاً به، والأصل أن الموهوب إن مشغولاً بمملك الواهب منع تمامها وإن شاغلاً لا فلو وهب جراباً فيه طعام طعام الواهب أو داراً فيها متاعه..... وسلمها كذلك لا تصح الخ (المصدر السابق، كتاب الهبة، ۸: ۴۹۳، ۴۹۴)، وكما يكون للواهب الرجوع فيها - أي: في الهبة الفاسدة - يكون لو ارثه بعد موته؛ لكونها مستحقة الرد (رد المحتار، ۸: ۴۹۶)۔

(۴): شریعت نے وارثین کے لے وراثت رکھی ہے، وصیت ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر کسی نے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی تو دوسرے وارثین کی رضامندی نہ ہونے کی صورت میں وہ باطل و غیر معتبر ہوتی ہے؛ اس لیے صورت مسئولہ میں اگر سوال نامہ کے ساتھ منسلک وصیت نامہ حسب شرائط بالکل صحیح و درست ہو تب بھی دیگر وارثین کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے شریعت میں اس کا کچھ اعتبار نہ ہوگا اور وصیت نامہ میں ذکر کردہ تمام املاک و جائداد مرحوم کا ترکہ ہو کر تمام شرعی وارثین کے درمیان حسب شرع تقسیم ہوں گی۔

← عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد

← أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث“ رواه أبو داود وابن ماجه (مشكاة المصابيح، كتاب الوصايا، الفصل الثاني، ص ٢٦٥، ط: المكتبة الأشرفية ديوبند)، ولا لوارثه..... إلا بإجازة ورثته لقوله عليه الصلاة والسلام: ” لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوصايا، ١٠: ٣٤٦، ط: مكتبة زكريا ديوبند)۔

(٥): راعنه پروين کے نام خرید کردہ زمین و جائداد وغیرہ کے بارے میں وہی تفصیل ہوگی جو اوپر نمبر ٢ و ٣ میں ذکر کی گئی۔ اور جس صورت میں وہ جائدادیں مرحومہ: راعنه پروين کی ملک ہوں گی، تو مرحومہ کی وفات پر ان پر وراثت کا

حکم جاری ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمد سید نور محمد  
١٣/٣/١٤٣٩ھ = ١٢/٤/٢٠١٧ء، دوشنبہ

الجواب صحیح  
صاحب  
مکتبہ

بلند شہری

١٥/٣/١٤٣٩ھ

الجواب صحیح  
صاحب  
مکتبہ  
١٥/٣/١٤٣٩ھ



III - 534/07



स्टाम्प 150/-रुपये

मैं कि मौहम्मद उमर पुत्र स्व० मौहम्मद खलील निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद का हूँ।

जो कि मेरी उम्र इस वक्त करीब 66 वर्ष हो चुकी है खुदा के फजल से मेरे होश हवास खमशा बिल्कुल दुरुस्त व सही हैं और मौत का कोई भरोसा नहीं कब और कहां आ जावे और दिल की हसरत दिल में ही रहे जावे मैं मुक़िर अपना भला बुरा सोचने व समझने एवं अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। अक्सर देखा गया है कि जायदाद के पीछे तरह-तरह के झगड़े पैदा होते हैं और नौबत मुकदमेंबाजी तक पहुँच जाती है मुझ मुक़िर के पास निम्नलिखित सम्पत्ति है जिसकी बावत मैं वसीयत हाजा तहरीर करना चाहता हूँ। मेरे जीवन काल में मेरी दो शादियां हुई मेरी पहली पत्नी श्रीमती राना परवीन जिनका इन्तकाल हो चुका है उनसे मैंने तीन पुत्रियां हुमेरा आदिल व मारिया जुबैर व सबीहा अफीफ हैं मैं अपनी तीनों पुत्रियों की शादी कर चुका हूँ और मैं अपनी सभी

भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA NG

ICIAL

30AD 0

2

तीनों पुत्रियों को दान दहेज व जेवरात व इस जायदाद के अलावा दूसरी जायदाद भी दे चुका हूँ इस जायदाद से तीनों पुत्रियों का कोई वास्ता व ताल्लुक नहीं होगा। और न ही मेरे पुत्र अर्फ पुत्र मौहम्मद उमर को मेरे द्वारा मेरी पुत्रियों को दी गई इस जायदाद के अलावा दी गई जायदाद से कोई वास्ता नहीं होगा। व मेरी दूसरी पत्नी श्रीमती कौसर जमाल है जो अभी जीवित हैं और मैंने कौसर जमाल को भी इस जायदाद के अलावा अन्य जायदाद उन्हें दे चुका हूँ इस जायदाद से कौसर जमाल का भी कोई वास्ता न होगा। मेरी दूसरी पत्नी श्रीमती कौसर जमाल से मेरे सिर्फ एक पुत्र अर्फ पुत्र मौहम्मद उमर है जो मेरे साथ मेरे इसी मकान में रहता है मेरी हर तरह की देखभाल व खिदमत गुजारी व फर्माबरदारी व दवा आदि मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद करता है जिसकी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। और नीचे लिखी सम्पत्तियां अपने पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर को इस वसीयत के द्वारा देना

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु. 10

INDIA



TEN  
RUPEES

Rs. 10

JUDICIAL

3

3040 0701

चाहता हूँ इस कारण मैं निम्नलिखित सम्पत्तियों की बावत जिस प्रकार वसीयत हाजा तहरीर कर रहा हूँ उसी तरह मेरी मृत्यु के बाद वसीयत हाजा अमल में आयेगी जब तक मैं जीवित रहूँ तब तक अपनी चल व अचल तमामी सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील रहूँगा और बाद मेरी मृत्यु के मेरी तमामी चल व अचल सम्पत्ति को जिस प्रकार इस वसीयत हाजा द्वारा देना चाहता हूँ मेरी मृत्यु उपरान्त मेरी सम्पत्ति उपरोक्त का मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ़ पुत्र श्री मौहम्मद उमर मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। मेरी मृत्यु के बाद तमामी सरकारी कागजात में मेरा नाम कटवाकर वसीयत हाजा के अनुसार अपना नाम दर्ज करा लेने का उसे कानूनी रूप में पूर्ण अधिकार हासिल होगा और मेरी मृत्यु के बाद मेरे समान समस्त अधिकार उसे प्राप्त होंगे वसीयत हाजा हर अदालत व पंचायत में काबिले कबूल व मंजूर होगी वसीयत हाजा में मेरे किसी सम्बन्धी व रिश्तेदार व मेरी अन्य पुत्रियों व

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

रु.

रु.

30AD 05614

4

अन्य परिवार से सम्बन्धित अन्य किसी को भी किसी प्रकार का दखल देने व एतराज करने का अधिकार कानूनी रूप में नहीं होगा। लिहाजा यह वसीयत नामा खूब सोच समझकर स्थिर बुद्धि से गवाहन की मौजूदगी में तहरीर कर दी ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

तफसील जायदाद जिसकी बावत वसीयत हाजा तहरीर कर रहा हूँ:-


1-एक कित्ता मकान संख्या 137 रकबई 204.25 वर्गमीटर का बकदर 1/2 स्थित लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद जिस पर मुझ मुक़िर की पत्नी श्रीमती राना परवीन बजरिये खरीद बयनामा इकरारी शशी भूषण दिनांक 07-04-1993 बही नं0 1 जिल्द 176 पेज 125/185 क्रमांक 2585 पर जिसकी रजि0 कार्यालय उपनिबन्धक मुरादाबाद में हुई है के द्वारा मालिक काबिज व दखील थी बाद स्वर्गवास पत्नी मजकूर के अपने हिस्से का मालिक हूँ जिसके पूरब में रास्ता 9.50मीटर चौड़ा व पश्चिम में मकान मनु महरोत्रा व उत्तर में मकान विनोद कुमार



भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

30AD 012

5


व जिसके दक्षिण में कोठी सुरेश चन्द्र रस्तौगी उपरोक्त मकान का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

2-एक कित्ता मकान संख्या 135 रकबई 204.25 वर्गमीटर स्थित लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी मुकेश रस्तौगी आदि दिनांक 19-02-1998 बही नं0 1 जिल्द 2316 पेज 123/124 क्रमांक 8922 पर जिसकी रजि0 कार्यालय उपनिबन्धक मुरादाबाद में हुई है के द्वारा मालिक काबिज व दखील हूँ जिसकी सीमाये पूरब में रास्ता 20.00 फिट चौड़ा व पश्चिम में मकान नं0 122 व उत्तर में मकान नं0 136 व जिसके दक्षिण में मकान

भारतीय नगर न्यायिक

दस  
रुपये

₹.10



TEN  
RUPEES

₹.10

INDIA NON JUDICIAL

6


नं० 134 उपरोक्त मकान का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होंगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

3-एक किता मकान रकबई 191.28 वर्गमीटर स्थित तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुक़िर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी भगवान दास दिनांक 22-01-1977 बही नं० 1 जिल्द 1610 पेज 203/216 क्रमांक 178 पर जिसकी रजि० कार्यालय उपनिबन्धक मुरादाबाद में हुई है के द्वारा मालिक काबिज व दखील हूँ जिसकी सीमाये पूरब में आवचक मकान मुबईया बादहू मकान आविद हुसैन व पश्चिम में सडक व उत्तर में आवचक बादहू मकान हकीम व जिसके दक्षिण में रास्ता गली उपरोक्त मकान का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र

# भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

30AD 06a

7

श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तवाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होंगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

4- एक कित्ता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 9.75 एकड बावत आराजी खसरा नं0 232 व 241 बाकय ग्राम साहू नगला तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकियर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी कुवरानी शोभना सिंह दिनांक 01-07-1992 यही नं0 1 जिल्द 516 पेज 307/324 क्रमांक 6045 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तवाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होंगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10

TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AD 056145

8

5-एक किता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 4.69 एकड़ बावत आराजी खसरा नं0 15अ व 15ब बाकय ग्राम बसन्तपुर शाहपुर तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी दलीप सिंह आदि दिनांक 10-06-1983 बही नं0 1 जिल्द 2044 पेज 53/55 क्रमांक 3536 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

6-एक किता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 0.260 हैक्टेयर बावत आराजी खसरा नं0 347 बाकय ग्राम सहरिया तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी लियाकत अली आदि दिनांक 19-12-1996 बही नं0 1 जिल्द 1423 पेज 363/376 क्रमांक 4683 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये



TEN  
RUPEES

₹. 10

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

9

30/11/2014

बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

7-एक किता आराजी बाग भूमिधरी रकबई 1.759 हैक्टेयर बावत आराजी खसरा नं० 348 बाकय ग्राम सहरिया तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकियर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी विधिराम गुप्ता दिनांक 14-12-1996 बही नं० 1 जिल्द 1420 पेज 145/160 क्रमांक 4616 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी बाग का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

10

8-एक कित्ता आराजी बाग भूमिधरी रकबई 0.255 हैक्टेयर का बकदर 1/3 भाग बावत आराजी खसरा नं० 349क व 350 व 351 बाकय ग्राम सहरिया तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी विधिराम गुप्ता दिनांक 17-12-1996 बही नं० 1 जिल्द 1442 पेज 1/14 क्रमांक 4644 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त बाग का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ़ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

9-एक कित्ता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 1.481 हैक्टेयर बावत आराजी खसरा नं० 116 बाकय ग्राम मूँढापाण्डे तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी कृष्णपाल सिंह दिनांक 19-05-1994 बही नं० 1 जिल्द 855 पेज 287/318 क्रमांक 2184 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज

भारतीय न्यायिक



30AB

बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

10-एक कित्ता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 0.983 हैक्टेयर बावत आराजी खसरा नं0 114 व बाकय ग्राम मूढापाण्डे तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं बहैसियत भूमिधर फर्द खतौनी द्वारा मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

11-एक कित्ता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 0.999 हैक्टेयर बावत आराजी खसरा नं0 789 बाकय ग्राम मुड़िया मलूकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी मौहम्मद आरिफ दिनांक 06-01-1994 बही



भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

30AL 1 - 47

12

नं० 1 जिल्द 760 पेज 165/184 क्रमांक 93 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज वहंसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

12-एक किता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 1991 हैक्टियर बावत आराजी खसरा नं० 76 बाकय ग्राम लालपुर हमीर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी दिलवरी बेगम दिनांक 19-08-1995 बही नं० 1 जिल्द 773 पेज 109/111 क्रमांक 2463 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज वहंसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु. 10



TEN  
RUPEES

Rs 10

INDIA NON JUDICIAL

8AD 518276

13

13-एक किता आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 2.527 हैक्टेयर का बकदर 1/3 भाग बावत आराजी खसरा नं0 72 व 74 बाकय ग्राम लालपुर हमीर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी रामौतार दिनांक 17-08-1995 बही नं0 1 जिल्द 773 पेज 103/105 क्रमांक 2436 के द्वारा व बादहू दाखिल खारिज बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त आराजी काश्त भूमि का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होंगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

14-एक किता मकान संख्या रकबई 1000 वर्ग फीट जो बराबर 92.93 वर्ग मीटर स्थित मल्लीताल तहसील व जिला नैनीताल जिस पर मैं मुकिर बजरिये खरीद बयनामा इकरारी चक्रधर कपिल दिनांक 27-07-1991 बही नं0 1 जिल्द 35 पेज 253/264 क्रमांक 477 पर जिसकी रजि0 कार्यालय उपनिबन्धक मुरादाबाद में हुई

भारतीय नैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु. 10



TEEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

18AD 518280

14

है के द्वारा मालिक काबिज व दखील हूँ उपरोक्त मकान का मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। और उसको हस्तांतरण आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।

15- यह कि इसके अतिरिक्त फर्म का कारोबार व फर्म और मेरे समस्त बैंक खाते व एफ0डी0आर0 व अन्य चल व अचल सम्पत्ति का मालिक भी मेरा पुत्र मौहम्मद अर्फ पुत्र श्री मौहम्मद उमर निवासी मौहल्ला तबाकियान शहर व जिला मुरादाबाद मेरे समान मालिक काबिज व दखील होगा। यह मेरी प्रथम व अन्तिम वसीयत है मेरी इस पंजीकृत वसीयतनामें के मुकाबले मेरे नाम से कोई अन्य अपंजीकृत



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

₹ 10

₹ 10

INDIA

INDIA

18AE 376287

15

वसीयत मान्य न होगी। यह वसीयत रुबरु गवाहान खूब सोच समझ कर तहरीर ब तकमील कर दी ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। मुकिर के फोटो गवाहन की पहचान पर फुरकान अहमद कातिब ने सत्यापित किये हैं।

बकिताब

ह0



वसीयतनामा  
सा10  
मुरादाबाद  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान

सा10  
मुरादाबाद  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान  
श्री. बकिताब खान

वसीयतनामा हाजा आज दिनांक 12-09-2017ई0 बइकरार मुकिर बमुकाम मुरादाबाद बकिताबत फुरकान अहमद कातिब, गोपाल रस्तौगी ने टाईप किया।

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

₹ 10

₹ 10

INDIA

INDIA

18AL 573281

15

वसीयत मान्य न होगी। यह वसीयत रुबरू गवाहान खूब सोच समझ कर तहरीर द तकमील कर दी ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। मुक़िर के फोटो गवाहन की पहचान पर फुरकान अहमद कातिब ने सत्यापित किये हैं।

ह0

सा0

सा0



श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार

श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार  
श्री. राजेश कुमार

वसीयतनामा हाजा आज दिनांक 12-09-2017ई0 बड़करार मुक़िर बमुकाम मुरादाबाद बकिताबत फुरकान अहमद कातिब, गोपाल रस्तौगी ने टाईप किया।



